राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक - प.1(6)न्याय/2019 जयपुर, दिनांक 22-10-19

**-::अधिसूचना::-**

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं.49) की धारा 4(2) सपठित धारा (3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार उदयपुर में जिला एवं सैशन न्यायाधीश स्तर का सैशन न्यायालय विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोगों की अन्वीक्षा (ट्रायल) करने हेतु विशिष्ठ न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ) संख्या-2, उदयपुर सृजित एवं स्थापित करती है तथा इसके पीठासीन अधिकारी को उनके पदस्थापन की तारीख से, विशिष्ठ न्यायाधीश नियुक्त करती है। इस न्यायालय द्वारा उन्हीं प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी, जो समय-समय पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को अन्तरित किये जायेगें।

राज्यपाल के आदेश से

22.10.19

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।

7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर/ जिला एवं सैशन न्यायाधीश/ पुलिस अधीक्षक, उदयपुर ।
9. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली ।

22.9.15

(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव